

ईडी की रिकॉर्ड रेड, गिरफ्तारी में आई कमी

▶ 2892 छापे, संपत्ति जब्ती और रिफंड में बड़ा उछाल



नई दिल्ली, 03 मई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट ने एजेंसी की कार्यशैली में आए बड़े बदलाव और बढ़ती सक्रियता को सामने रखा है। इस अवधि में ईडी ने कुल 2,892 छापेमारी की, जो पिछले वर्ष के 1,491 छापों की तुलना में लगभग दोगुनी है। यह आंकड़ा एजेंसी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है।

छापेमारी में रिकॉर्ड वृद्धि के बावजूद गिरफ्तारियों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2025-26 में ईडी ने 156 लोगों को गिरफ्तार

किया, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 214 और उससे पहले 272 थी। इस प्रकार गिरफ्तारियों में लगभग 27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। एजेंसी के अनुसार, अब वह व्यापक छापेमारी के साथ-साथ अधिक सटीक और साक्ष्य आधारित जांच पर जोर दे रही है, जिससे केवल ठोस मामलों

में ही गिरफ्तारी की जा रही है। संपत्ति अटैचमेंट के मामले में भी ईडी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने 712 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी करते हुए कुल 81,422 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। यह पिछले वर्ष के 30,036 करोड़ रुपये के मुकाबले 171 प्रतिशत

विपक्ष कर रहा है लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर: रिजिजू

नई दिल्ली, 03 मई. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे लोकतंत्र की बुनियाद पर हमले कर रहे हैं और देश की जनता उनके ऐसे प्रयासों का समय आने पर करारा जवाब देगी। रिजिजू ने रविवार को सोशल मीडिया एक पर एक पोस्ट में कहा कि विपक्ष सरकारी एजेंसियों, ईवीएम, चुनाव आयोग, मीडिया और न्यायपालिका को लगातार निशाना बना रहे हैं, जिससे लोकतंत्र की मूल संरचना प्रभावित होती है। कांग्रेस पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने 1975 में लगे आपातकाल का उल्लेख किया।

तिरुपति लड्डू घी घोटाले में बड़ा खुलासा

बिना जांच 70 लाख किलो घी इस्तेमाल



तिरुपति/अमरावती, 03 मई. आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थान में लड्डू प्रसाद के लिए घी खरीद से जुड़ा विवाद गहराता जा रहा है। एक सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट ने इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही का खुलासा किया है।

लगभग 70 लाख किलो घी बिना अनिवार्य गुणवत्ता जांच के खरीदा गया, जो स्थापित नियमों का गंभीर उल्लंघन है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कई मामलों में घी का उपयोग लैब

रिपोर्ट आने से पहले ही प्रसाद निर्माण में कर लिया गया। इससे मिलावटी घी घाटिया गुणवत्ता वाले घी के उपयोग की आशंका बढ़ गई है, जो श्रद्धालुओं की आस्था और स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। जांच समिति ने इस पूरे प्रकरण में प्रशासनिक विफलताओं और प्रक्रिया के उल्लंघन को मुख्य कारण बताया

है। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि इन खामियों के चलते मिलावटी घी की आपूर्ति संभव हो सकी। इसके अलावा, समिति ने संभावित मिलीभगत की भी आशंका जताई है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। रिपोर्ट में पूर्व कार्यकारी अधिकारी एवी धर्मा रड्डू को इस पूरे मामले के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है।

एक नजर में

समुद्र की गहराई में भारत ने रचा नया इतिहास



पोर्ट ब्लेयर, 3 मई. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह भारत के लिए सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि रणनीतिक

और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। समुद्री गहराइयों में हाल ही में किए गए अनुसंधान और तकनीकी अभियानों ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। भारतीय नौसेना, वैज्ञानिक संस्थाओं और समुद्री शोधकर्ताओं की संयुक्त टीम ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए समुद्र की गहराइयों में विस्तृत अध्ययन किया। इस अध्ययन में रिमोट सेंसिंग, अंडरवाटर ड्रोन्स और एडवांस्ड सोनार सिस्टम का उपयोग किया गया, जिससे समुद्र तल की संरचना, खनिज संसाधन और जैव विविधता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इन खोजों से यह स्पष्ट हुआ है कि भारत के समुद्री क्षेत्र में अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं, जिन्हें सही दिशा में उपयोग करके देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संसाधनों को मजबूत किया जा सकता है। इसके साथ ही, समुद्री सुरक्षा को भी नई मजबूती मिली है, जिससे भारत की समुद्री सीमाएं अधिक सुरक्षित और निगरानी में सक्षम हो गई हैं। अंडमान-निकोबार क्षेत्र अब भारत के लिए एक समुद्री प्रयोगशाला के रूप में विकसित हो रहा है, जहां लगातार नए प्रयोग और शोध किए जा रहे हैं। इसके अलावा, यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को समझने और संरक्षित करने में मदद मिलेगी। यह प्रयास भारत के नौली अर्थव्यवस्था के दिग्गज को भी आगे बढ़ाता है।

आर्मी चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी पर 2 लाख का जुर्माना चंडीगढ़, 03 मई. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक रिटायर्ड मेजर की पेंशन मामले में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और कक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उन दोनों की सैलरी से काटकर याचिकाकर्ता मेजर राजदीप दिन्कर पांडे को दिया जाएगा। कोर्ट ने यह आदेश 30 अप्रैल को दिया, जब दोनों अधिकारियों ने कोर्ट और ट्राइब्यूनल के आदेशों का पालन नहीं किया था। रिटायर्ड मेजर पांडे ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें सेवा के दौरान गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुईं और उनके बाद कई सर्जरी की गईं। पांडे को 15 प्रतिशत दिव्यांगता का सामना करना पड़ा था, लेकिन पेंशन के लिए उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने चंडीमंदिर आर्मड फोर्स ट्राइब्यूनल की रिपारिशरी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जो उनके पक्ष में थे। ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा था कि पांडे की दिव्यांगता सैन्य सेवा के दौरान ही हुई थी और उन्हें उच्च दिव्यांगता श्रेणी में रखा जाना चाहिए। 12025 में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद, पांडे ने कंटेन्ट पीटिशन दायर की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट और ट्राइब्यूनल के आदेशों का पालन नहीं किया गया।

कर्नाटक में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी अयोग्य घोषित

▶ बीजेपी नेता मर्डर केस में दोषी ठहराए गए

बेंगलुरु, 3 मई. कर्नाटक विधानसभा ने शनिवार को कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को अयोग्य घोषित करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की, जो कि बीजेपी नेता योगेशगौड़ा गोदर की हत्या के मामले में दोषी पाए गए थे।

यह मामला 2016 में धारवाड़ में हुए बीजेपी नेता की हत्या से संबंधित है, जिसमें कुलकर्णी को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में दोषी ठहराया गया था। कुलकर्णी को इस मामले में आजीवन कारावास

की सजा मिली है और उनका विधायक पद अब समाप्त कर दिया गया है। कुलकर्णी की विधानसभा सदस्यता 15 अप्रैल 2026 से अयोग्य घोषित कर दी गई है और यह अयोग्यता उनकी रिहाई के बाद छह साल तक जारी रहेगी, बशर्ते कि किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती। इस निर्णय के कारण कर्नाटक विधानसभा में धारवाड़ विधानसभा क्षेत्र की सीट रिक्त हो गई है। इस समय विधानसभा में दो अन्य सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, जिनके परिणाम 4 मई को घोषित होंगे। यह मामला 15 जून 2016 को धारवाड़ में बीजेपी जिला पंचायत सदस्य योगेशगौड़ा गोदर की हत्या से जुड़ा हुआ है।

विमान में इमरजेंसी दरवाजा खोलने पर हुआ गिरफ्तार

▶ शारजाह से चेन्नई आ रही थी फ्लाइट

चेन्नई, 03 मई. रविवार को शारजाह से चेन्नई आ रही एयर अरबिया की फ्लाइट में एक बेहद चौंकारने वाली घटना सामने आई। विमान के टैक्सिवे पर चलते समय एक 34 वर्षीय यात्री ने अचानक इमरजेंसी एग्जिट गेट खोल दिया, जिससे विमान के कांकपिट में चैतावनी का आलार्म बजने लगा।

इस घटना ने सभी को चौंका दिया, लेकिन पायलट को सूझबूझ और तत्परता के कारण एक बड़ी दुर्घटना टल गई। पायलट ने तुरंत विमान को रोका और हवाई अड्डे

अधिकारियों को सूचित किया। विमान उस समय पूरी तरह से रुक चुका नहीं था, और अगर इमरजेंसी गेट खोलने की स्थिति में विमान ने गति पकड़ ली होती, तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते थे। यात्रियों और केबिन कर्मी के लिए यह एक बेहद तनावपूर्ण क्षण था। इमरजेंसी गेट का अर्नाधिकृत रूप से खोला जाना एक गंभीर अपराध है, क्योंकि इससे विमान के दबाव पर असर पड़ता है और यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हवाई अड्डे पर तैनात सीआईएसएफ के जवान तुरंत कार्रवाई में जुट गए। सुरक्षा बलों की एक टीम, जिसमें बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञ भी शामिल थे।

लेबनान के 12 गांवों को खाली कराया

आईडीएफ का हिज्बुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी

बेरुत, 03 मई. दक्षिणी लेबनान के टायर जिले में इजरायली गोलाबारी से स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने हाल ही में 12 कस्बों और गांवों के निवासियों को चैतावनी दी थी कि वे अपनी सुरक्षित जगहों पर परालायन करें।

इस चैतावनी के बाद, गोलाबारी के बीच इन इलाकों में बड़ी संख्या में लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं। यह हमला मुख्य रूप से टायर जिले के फरुन और घंदूरियेह नगरपालिकाओं के साथ-साथ अल-मसूरी, कलाइला और माजदल जौन की पहाड़ियों के



बाहरी क्षेत्रों को निशाना बनाकर किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, गोलाबारी में अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। इन घटनाओं से यह प्रतीत हो रहा है कि इजरायल और लेबनान के बीच

बढ़ते तनाव के कारण सैन्य कार्रवाई की दिशा में स्थिति और जटिल हो सकती है। इससे पहले, आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के 12 इलाकों में सैन्य कार्रवाई की चैतावनी दी थी और निवासियों से कहा था कि वे अपने घरों से 1,000 मीटर दूर शिफ्ट हो जाएं। इस चैतावनी को हिज्बुल्लाह के खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, जो पहले से चल रहे संघर्ष को और बढ़ा सकता है। वर्तमान में, इजरायल के पास अपनी हमलावर सेना के पांच डिवीजन तैनात हैं और वह बड़े पैमाने पर बमबारी कर रहा है, जिससे घरों और संपत्तियों को भारी नुकसान हो रहा है।

आज का इतिहास

- 1767 प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञ और कवि त्यागराज का जन्म।
- 1776 रोड आइलैंड (अमेरिका) ने किंग जॉर्ज ड्रड्ड के प्रति निष्ठा त्यागकर स्वतंत्रता की घोषणा की।
- 1780 अमेरिकी कला एवं विज्ञान अकादमी की स्थापना।
- 1799 मैसूर के टीपू सुल्तान की श्रीरंगपतन की लड़ाई में मृत्यु।
- 1854 भारत की पहली डाक टिकट को औपचारिक तौर पर जारी किया गया।
- 1896 लॉन डेली मेट का पहला संस्करण प्रकाशित।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता के बिना निरंतर विकास और शांति की कल्पना नहीं की जा सकती

स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी है: गुटेरेस

न्यूयॉर्क, 03 मई. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रविवार को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुनिया भर में पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने और सच्चाई बताने वालों को सुरक्षित रखने का आह्वान किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता के बिना मानवाधिकार, निरंतर विकास और शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। श्री गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर एक संदेश में कहा कि तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर



टिकी है। इसके बिना न तो मानवाधिकार संभव हैं, न ही शांति। आइए हम पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करें और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां सच

बोलने वाले सुरक्षित रहें। महासचिव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में वैश्विक स्तर पर पत्रकारिता की स्थिति को लेकर बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश की गई है। सूचकांक के 25 साल के इतिहास में पहली बार दुनिया के आधे से अधिक देशों (52.2 प्रतिशत) को प्रेस स्वतंत्रता के मामले में कठिन या गंभीर श्रेणी में रखा गया है। साल 2002 में यह आंकड़ा महज 13.7 प्रतिशत था।

सरकार ने प्रेस की आजादी कमजोर कर दी - खरगो

नई दिल्ली, 03 मई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगो ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके 2014 में सत्ता में आने के बाद से देश की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में स्थिति बिगड़ी है और भारत दुनिया में प्रेस की आजादी को लेकर 157वें स्थान पर पहुंच गया है।



श्रीनगर का शख्स पाक स्रोतों से धन लेने के आरोप में गिरफ्तार

नयी दिल्ली, 03 मई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने श्रीनगर के एक निवासी को पाकिस्तान और विदेशी स्रोतों से 18 करोड़ रुपये की धनराशि हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वह आईएसआई (पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी) के लिए काम कर रहा था या पाकिस्तान के लिए जासूसी में शामिल था। श्रीनगर का 38 वर्षीय आरोपी आसिफ शफी अहंगर से हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसियों अनुसंधान और विश्लेषण विंग (आरएडब्ल्यू) और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पूछताछ की।

उत्पीड़न से हुई दिल्ली जज की मौत

नई दिल्ली, 03 मई. दिल्ली के वरिष्ठ जज अमन कुमार शर्मा के सुसाइड ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। उनके परिवार ने इस मौत को लेकर जो आरोप लगाए हैं, उसने इस केस को हाई-प्रोफाइल बना दिया है। परिवार का कहना है कि जज का मानसिक तनाव केवल उनके पेशे से नहीं, बल्कि निजी जीवन से भी जुड़ा था। खासतौर पर उनकी पत्नी स्वाति और साली, आईएसएस अधिकारी निधि मलिक पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।



लेने की स्वतंत्रता नहीं दी गई। यह आरोप निधि मलिक के नाम से जुड़ा है, जिसे परिवार के अनुसार जज के जीवन में हस्तक्षेप करने वाली बताया जा रहा है। मामले ने राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक सर्कल में भी ध्यान आकर्षित किया है। इस केस की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है

और सभी पहलुओं की छानबीन की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि वे सभी आरोपों की गहन जांच करेंगे और केस में शामिल व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। परिवार का कहना है कि उन्होंने मानसिक उत्पीड़न के कारण जज के सुसाइड की बात उठाई है, जिससे यह मामला संवेदनशील और गंभीर हो गया है। लोगों के बीच यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या निजी जीवन में दबाव और मानसिक उत्पीड़न भी न्यायपालिका के उच्च अधिकारियों के लिए समस्या बन सकती है। अमन कुमार शर्मा का अचानक निधन कई सवाल खड़े करता है और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग बढ़ गई है।